दूरभाष 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

606/1

पत्रांक : 4993/05/76/एक/2015–16 दिनांक 31 मार्च 2016

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–कानपुर नगर।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2015–16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।**

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या–37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
एच0डी0एफ0सी0 बैंक	50100092871077	IFSC Code HDFC0002080	222.835

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0नि0 कानपुर	मो0 नौरिया खेड़ा पार्ट–एट में शिव शंकर मिश्रा के घर से रामपाल के घर तक, एवं पास की गलियों में बलराम सिंह के घर से शिव नारायण दुबे के घर तक एवं पास की गलियों में, संजय शुक्ला के घर से शिव गोविन्द के घर, प्रकाश सैनी के घर से रज्जन प्रजापति के घर होते हुए रमेश चन्द के घर तक, सन्त कुमार अग्निहोत्री के घर से जय नारायण शुक्ला के घर तक, रंगी लाल के घर से ओम प्रकाश के घर व किशन लाल के घर तक एवं पास की गलियों में तथा जगदीश के घर तक एवं पास की गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	15.919
2	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0नि0 कानपुर	मो0 नौरिया खेड़ा पार्ट बी में टीनू दुबे घर से मोहित यादव के घर तक एवं पास की गलियों में, कन्नौजिया बिल्डिंग से राज कुमार बाल्मीकि के घर तक एवं पास की गलियों में व शिवराज यादव के घर से जगदीश दिवाकर के घर होते हुये पुष्पा देवी के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	15.911
3	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0नि0 कानपुर	मो0 विवेकानन्द नगर में कालिका प्रसाद के घर से राम गोविन्द के घर होते हुये राजा के घर तक, जगरूप सिंह चौहान के घर से अर्जुन के घर तक एवं पास की गलियों में, शारदा के घर से बब्बू लाल के घर होते हुए सामुदायिक सेन्टर तक एवं पास की गलियों में व शिव कैमिकल से सुनील सक्सेना केक घर होते हुए विद्या सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	16.015
4	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0नि0 कानपुर	मो0 बाबा गदार नगर मछरिया पार्ट ए में इमाल चौक से रफीक नकाब के घर तक एवं पास की गलियों में व फारूक ठेकेदार के घर से मुश्ताक अहमद के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	15.907

606/2

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक / मलिन	निकाय का नाम	बस्ती / वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
5	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0नि0 कानपुर	मो0 बाबा मदार नगर मछरिया पार्ट बी में वी0ए0 खान के घर से अमीर अली के घर तक, वसीक के घर से मेहराज के घर तक, अनीस के घर से जफर के घर तक एवं पास की गलियों में व अनीस अली के घर से सीबू खान के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	15.886
6	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0नि0 कानपुर	मो0 बाबा मदार नगर मछिया पार्ट सी में सीबू खान के घर से सराफत पतंग वाले घर तक, टोनी बिरयानी वाले घर घर से इश्तियाक अहमद के घर तक व साजिद भाई के घर से अमीर हसन के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	15.850
7	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0नि0 कानपुर	मो0 बूढ़पुर मछरिया पर्ट ए में भीखम सिंह के घर से राजू व रमेश चन्द्र के घर होते हुए राम नरेश के घर तक एवं पास की गलियों में अमर सिंह यादव के घर से लोकेन्द सोनकर के घर तक, राम नरेश कोरी के घर से विनय शुक्ला के घर होते हुए अवशेष हेल्थ केयर तक एवं पास की गलियों में व राम नरेश कोरी के घर से अनिल कोरी के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	15.911
8	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0नि0 कानपुर	मो0 बूढ़पुर मछरिया पार्ट बी में रवि गुप के घर से बच्चा सिंह के घर तक एवं पास की गलियों में वीरेन्द्र दिवाकर के घर से अली रजा के घर तक ओम प्रकाश के घर से अशोक मिश्रा के घर तक एवं पास की गलयामें अम्बिका मिश्रा के घर से नवल कशोर गुप मे घर होते हुए नसीम के घर तक व प्रताप अग्निहोत्री के घर से संजय द्विवेदी के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	15.898
9	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0नि0 कानपुर	मो0 बढ़पुर मछरिया पार्ट सी में विनय शुक्ला के घर से शिवराम यादव के घर तक एवं पास की गलियो मे उमादत्त के घर से शिव राम यादव के घर होते हुए बब्लू तिवारी के घर तक एव पास की गलियों में महिपाल यादव के घर से करन यादव के घर तक व बच्चा सिंह के घर से अम्बिका मिश्रा के घर होते हुए राजा सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	15.898
10	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0नि0 कानपुर	मो0 मिर्जापुर पार्ट आई मे उमा शकर के घर से सुरेन्द्र पाल के घर तक एइण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	16.003
11	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0नि0 कानपुर	मो0 मिर्जापुर पार्ट जे मे नई शिवली रोड से पी0वी0 सैनी के घर तक एव पास की गलियों में तथा पी0वी0 सैनी के घर से राम किशन के घर तक मे इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	16.007
12	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0नि0 कानपुर	मो0 मिर्जापुर पार्ट के में नई शिवली रोड से रामेन्द्र सिंह के घर होते हुए महेश यादव एव रामेन्द सिंह व मिथलेश राजपूत के घर होते हुए रामचन्द्र सैनी के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	15.943
13	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0नि0 कानपुर	मो0 ताड बगिया पार्ट ए मे राजेन्द्र शर्मा के घर से लईक अहमद सिददीकी मन्सूरी के घर होते हुए डा0 एम0ए0एन0 एजूकेशन सेन्टर तक एवं पास की गलियों में पवन शर्मा घर से जाहिद अली के घर तक, मुन्नी लाल के घर से	15.853

दूरभाष 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

606/3

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
				सुरेन्द्र नाथ शर्मा के घर तक, राज कुमार सैनी के घर से बब्बन भाई के घर तक, रविन्द्र कुमार के घर से साबिर अहमद के घर तक एवं बदलू के घर से लाला भईया के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	15.834
14	कानपुर नगर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0नि0 कानपुर	मो0 ताड बगिया पार्ट बी में फजल अन्सारी के घर से त्रिलोकी नाथ ज्वैलरी शाप तक एवं पारा की गलियों में, मु0 अब्दुल हुई के घर से मु0 कलीम के घर तक, मु0 अब्दुली के घर से आफताब अहमद के घर होते हुए रईस वारिस के घर तक एवं पारा की गलियों मे अब्दुल कादिर के घर से बद्री प्रसाद के घर तक, फलचन्द्र पाल के घर से धर्म प्रकाश के घर तक एवं लईक अहमद के घर से राजू के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	222.835
	योग				

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6– प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015 16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जाये। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9– उक्त धनराशि सूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10– प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

606/4

दूरभाष 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

11– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यो में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12– शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधि0 अभियन्ता–सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक